

प्रेषक,

आलोक कुमार,

अपर मुख्य सचिव,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निर्यात आयुक्त,

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, 30प्र0

लखनऊ।

2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,

उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, 30प्र0

कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग- 4

लखनऊ: 26 नवम्बर, 2025

विषय:- वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजनान्तर्गत प्रदेश में स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से पैरिशेबल गुड्स, कृषि, औद्योगिक तथा औद्योगिक उत्पादों का निर्यात करने वाली निर्यातक इकाईयों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 में निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए पूर्व की भांति वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजनान्तर्गत प्रदेश में स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से निर्यात करने वाली निर्यातक इकाईयों के साथ-साथ ऐसी निर्यातक इकाईयों को भी आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिनके द्वारा प्रदेश के बाहर स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से पैरिशेबल गुड्स, कृषि, औद्योगिक तथा औद्योगिक उत्पादों का निर्यात किया जाता है। तत्क्रम में श्री राज्यपाल प्रदेश के निर्यातकों हेतु नवीन निर्यात प्रोत्साहन 2025-30 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना प्रारंभ करने की सहर्ज स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. शासनादेश संख्या 684/18-4-2025/18-4099/31/2025 दिनांक 03 सितम्बर 2025 द्वारा प्रख्यापित निर्यात नीति के प्रस्तर-8.2 में किये गये प्रावधानों के क्रम में निर्यातक इकाई द्वारा देश में स्थित किसी भी एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से निर्यात किये जाने पर योजनान्तर्गत लाभ अनुमन्य होगा, यदि निर्यातित उत्पादों का स्टेट ऑफ ओरिजिन उत्तर प्रदेश है।

2. योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदेश के ऐसे समस्त निर्यातकों को प्रदान की जायेगी, जिनके द्वारा प्रदेश में उत्पादित शीघ्र नाशवान वस्तुओं (पैरिशेबल गुड्स), कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादों का देश में स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से निर्यात किया जा

रहा है।

3. उत्तर प्रदेश से शीघ्र नाशवान वस्तुओं (पैरिशेबल गुड्स), कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादों का वायुमार्ग से किये गये निर्यात के माल के भाड़े (जिसमें कार्गो हैंडलिंग से सम्बन्धित अन्य व्यय भी सम्मिलित होंगे) पर व्यय धनराशि की 30 प्रतिशत अथवा ₹150/- प्रति कि०ग्रा० की दर से (जो भी कम हो) आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत एक निर्यातक इकाई को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹10.00 लाख (रु० दस लाख मात्र) तक की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।

4. योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु निर्यातक इकाईयों को योजना के पोर्टल पर दावों को ऑनलाईन फाईल किये जाने की प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती है:-

4.1 निर्यातक इकाई द्वारा निर्यात उत्पाद वायु मार्ग से विदेशी क्रेता को भेजे जाने के उपरान्त, भेजे जाने की तिथि से अधिकतम 180 दिनों के अन्दर अपना दावा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन फाईल किया जायेगा। उक्त अवधि के बाद फाईल किए गए दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

4.2 निर्यातक इकाई द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय अपने दावे के साथ समस्त वांछित अभिलेखों की प्रतियाँ अपलोड की जानी होंगी। आवेदन की तिथि से अधिकतम 15 दिनों के अन्दर आवेदन पत्र में हुई त्रुटियों/अपूर्णताओं का निराकरण/संशोधन निर्यातक इकाई द्वारा किया जा सकेगा।

4.3 निर्यातक इकाई द्वारा पोर्टल पर फाईल किये गये दावे को सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र द्वारा पोर्टल पर उनके स्तर पर प्रदर्शित होने की तिथि से अधिकतम 21 दिनों के अन्दर परीक्षण कर निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित किये जायेंगे। ऐसे दावे जो योजनान्तर्गत निर्धारित अभिलेखों के अभाव में अपूर्ण पाये जायेंगे, की अपूर्णता का पूरा विवरण ऑनलाईन अंकित करते हुए, सम्बन्धित निर्यातक इकाई को वापस (Revert) कर दिया जायेगा। उपायुक्त उद्योग द्वारा रिवर्ट किये गये दावों को सम्बन्धित निर्यातक इकाई द्वारा कमियों का निवारण करते हुए अधिकतम 15 दिवसों के अन्दर पुनः ऑनलाईन फाईल किया जा सकेगा। निर्धारित समयावधि में वांछित कार्यवाही पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दावा स्वतः निरस्त माना जायेगा। उपायुक्त उद्योग द्वारा ऐसे दावे भी पुनः परीक्षण कर अधिकतम 21 दिवसों में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित किये जायेंगे।

4.4 उपायुक्त उद्योग द्वारा 21 दिन की निर्धारित समय सीमा में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को दावा अग्रसारित न किये जाने अथवा दावे में अपूर्णता की स्थिति में दावा इकाई को रिवर्ट (REVERT) न किये जाने पर दावे स्वतः निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित हो जायेंगे। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा इस सम्बन्ध में दायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4.5 निर्यातक इकाईयों द्वारा ऑनलाईन फाईल किये गये ऐसे दावे, जो योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, को उपायुक्त उद्योग द्वारा निरस्तीकरण के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए निरस्त किये जाने की संस्तुति सहित निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित किये जायेंगे।

5. निर्यातक इकाईयों द्वारा दावों को ऑनलाईन फाइल किये जाने की प्रक्रिया, दावों के परीक्षण करने हेतु निर्यातक इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेखों का निर्धारण एवं इसमें संशोधन का अधिकार प्राधिकृत समिति में निहित होंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों/आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने का अधिकार निम्नानुसार गठित प्राधिकृत समिति में निहित होगा:-

1	निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	निदेशक, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3	वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश	सदस्य
4	सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग	सदस्य
5	अपर/संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

6. योजनान्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को प्राप्त होने वाले समस्त दावे स्वीकृति हेतु उक्तानुसार गठित प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों की स्वीकृति प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर की जायेगी तथा बजट उपलब्धता के आधार पर आर्थिक सहायता का अन्तरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले दावों का भुगतान उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। अवशेष दावों को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रणीत किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिए जाने के अधिकार प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।

7. पात्र निर्यातक इकाईयों को इस योजना हेतु आर्थिक सहायता तभी अनुमन्य होगी यदि निर्यातक इकाईयों द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समान उद्देश्य हेतु संचालित किसी अन्य योजना से समान प्रकृति का पूर्ण या आंशिक लाभ न लिया गया हो।

8. राज्य द्वारा प्रायोजित/निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय मेलों/इवेंट्स में प्रतिभाग करने वाली इकाईयों को योजनान्तर्गत दावों के भुगतान के समय प्राथमिकता दी जायेगी।

9. यह सुविधा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 द्वारा समय-समय पर परिभाषित उत्तर प्रदेश की समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की ऐसी निर्माता/वाणिज्यिक (Manufacturing/Merchant) निर्यातक इकाईयों को उपलब्ध होगी जो कार्य संपादन के समय निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश व उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकृत होंगी।

10. यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा योजनान्तर्गत अनुमन्य आर्थिक सहायता का दुरुपयोग किया गया है अथवा जानबूझ कर गलत तथ्य/विवरण प्रस्तुत किये गये हैं अथवा छिपाये गये हैं तो इकाई से सम्पूर्ण धनराशि राजस्व देयों की भांति वसूल की जायेगी तथा इकाई को काली सूची में डालते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की शासकीय आर्थिक सहायता हेतु अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

11. शासनादेश में किये गये प्राविधानों की व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण के अधिकार योजनान्तर्गत

गठित प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।

12 . यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

Digitally signed by

ALOK KUMAR

Date: 05-11-2021 (आलोक कुमार)

15:03:33

अपर मुख्य सचिव

संख्या-814 (1)/18-4-2025, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. आयुक्त/अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, कन्टेनर कार्पोरेशन आफ इण्डिया।
7. वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ।
9. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
11. संयुक्त/अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उOप्रO।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव।

वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना

(शासनादेश संख्या- 829 / 18-4-2025 दिनांक 06 नवम्बर 2025)

दावा प्रपत्र (Claim Form)

निर्यातक इकाई का नाम (Name of the Exporting Unit)	
निर्यातक इकाई के स्वामी / प्रबंधक / निदेशक / साझेदार का नाम (Name of Proprietor/Managing Director/Partner of Exporting Unit)	
आयातक-निर्यातक कोड (IEC Code)	
निर्यातक इकाई का प्रकार (व्यापारी / विनिर्माण) (Type of the Exporting Unit) (Merchant/Manufacturer)	
पंजीकरण संख्या Registration Number - निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ०प्र० (EPBUP) - उ०प्र० निर्यात संवर्धन परिषद (UPEPC) - उद्यम (Udyam)	

Details of Shipment

शिपिंग बिल संख्या व दिनांक (Shipping Bill Number)	शिपमेंट की तिथि (Date of Shipment)	एच०एस०एन ० कोड के साथ एक्सपोर्ट किए गए प्रोडक्ट्स के नाम की लिस्ट (List of Products exported) with HSN Code	निर्यात किए गए उत्पादों का वजन किलोग्राम में (Weight of Exported Products (in KGS)	एयर वे बिल (Airway Bill No)	एयर वे बिल की तिथि Date on Airway Bill	एयर कार्गो की कुल लागत ₹ में) (Total cost of Air Cargo (in INR)	परिवहन नकद रसीद संख्या और दिनांक (Transportation Cash Receipt Number and Date)

सी0ए0 द्वारा प्रदत्त विवरण के अनुसार व्यय (रु में) Expense as per declaration by CA (in INR) :

आवश्यक अभिलेख Supporting Documents

- उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रति (Copy of Udyam Registration)
- निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो और निर्यात संवर्धन परिषद पंजीकरण की प्रति (Copy of EPB and EPC Registration)
- पैकिंग लिस्ट और इनवॉइस की प्रति (Copy of Packing List and Invoice)
- कस्टम सत्यापित बिल की प्रति (Copy of custom verified bill (LEO))
- एयर-वे बिल की प्रति (Copy of Airway Bill)
- सी0ए0 द्वारा सत्यापित निर्धारित फॉर्मेट में व्यय प्रमाण पत्र (परिशिष्ट 2) (CA certificate of the expense in predefined format (Annexure 2))
- निर्यातक इकाई का घोषणा पत्र (Declaration from Exporting Unit)
- बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट की कॉपी (Copy of Bank Realization Certificate)

परिशिष्ट- 2

शपथपत्र का प्रारूप (रूपये 10 के स्टॉप पर)

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
प्रोपाइटर/पार्टनर/निदेशक.मे0..... पता.....
.....उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सं0.....आई.ई.
सी. कोड.....ई0पी0बी0 पंजीयन संख्या.....दिनांक.....
.....सत्यापित करता हूँ/करती हूँ:-

1. यह कि निर्यातक इकाई द्वारा यह दावा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष.....में.....
..बार प्रस्तुत किया गया है।
2. यह कि उक्त वर्णित इकाई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एक्ट-2006 तथा जारी अधिसूचना दिनांक 21 मार्च
2025 में वर्णित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की परिभाषा के अन्तर्गत एक.....श्रेणी की
इकाई है।
3. यह कि निर्यातक इकाई (मर्चेन्ट/मैन्युफैक्चरिंग)..... श्रेणी के अंतर्गत हैं।
4. यह कि निर्यातक फर्म द्वारा अनुदान हेतु किये गये दावे के सापेक्ष प्रदेश अथवा भारत सरकार की किसी भी
योजना से वित्तीय अनुदान/लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त समस्त सूचनाएँ जो मेरे द्वारा उपलब्ध करायी जा रही हैं पूर्णतः सत्य हैं तथा किसी भी
प्रकार के तथ्यों को छुपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में यह पाया जाता है मेरे द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत
किये गये हों तो मेरे विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा सकती है।

(हस्ताक्षर)

नाम-

पदनाम-प्रोपाइटर/पार्टनर/डायरेक्टर-

पता-

मोबाईल नंबर-

वायुयान भड़ा युक्तिकरण योजनान्तर्गत वायुयान मार्ग से निर्यात हेतु भेजे गये
माल के भाड़े पर हुए व्यय के क्रम में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता हैं कि इकाई मेसर्स.....द्वारा वायुयान मार्ग से दिनांक.
.....तक एयर कार्गो काम्पलेक्स.....से देश.....को.....उत्पाद
कि०ग्रा० निर्यात किया गया है।

उक्त भेजे गये माल के वायुयान किराये के रूप में इकाई द्वारा रू०..... की धनराशि
व्यय की गयी है ।

उक्त विवरण इकाई के अभिलेखों से सत्यापित किया गया और सही पाया गया है।

तिथि
स्थान

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के हस्ताक्षर
सील सहित
नाम
पंजीकरण सं०
पता